12/06/24	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र 07 R11 पेश हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस प्रा० पत्र 07 R11 पर सुनी जा चुकी है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ख०नं० 420 रकबा 0.4932 है०, ख०नं० 422 रकबा 0.1265 है० ग्राम नांगल जैसा बोहरा तह० व जिला जयपुर, वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भुवाना पुत्र बालू के नाम दर्ज है एवं मौके पर सघन आबादी विकसित है। उक्त भूमि कृषि योग्य शेष नहीं बची है। उक्त विचाराधीन भूमि मे ना तो वादी रिकॉर्डेड खातेदार है ना ही भूमि कृषि योग्य है। अप्रार्थी / वादी अधि० ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति में जमाबंदी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

सुरेश कुमार बनाम बनवारी

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा 02/2023 /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12-06-24	की प्रति न्यायालय अभिलेख पर है, जिसमे वादग्रस्त आराजी 'कृषि भूमि' के रूप मे ही दर्ज है। इसके साथ ही अप्रार्थी अधि० ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कौनसे प्रावधान वादी के वाद-पत्र को वार्जित करते है। उक्त प्रार्थी का प्रा०पत्र सारहीन, निरर्थक है, जो खारिजी योग्य है। उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय दस्तावेजात के गहनतापूर्वक अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी मे ना तो रिकॉर्डेड खातेदार है और ना ही वादी ने खातेदार अभिधारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इसलिए बिना खातेदार अभिधारी हुए वादी को को कोई Cause of Action / वाद कारण	

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर, प्रथम

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष : / 20

क्रम सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12-06-24	ही उत्पन्न नहीं हो सकता। धारा-188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 मे उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जा सकता, जो अभिधारी नहीं है। केवल रिकॉर्डेड खातेदार ही धारा-188 के अन्तर्गत वाद दायर कर सकता है। सारतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद, धारा-188 राज० काश्तकारी अधि० 1955 से वर्जित / बाधित होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने की स्थिति में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12/06/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, CW नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	